माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांगी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्षता में 17 फरवरी, 2021 को सायं 05.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग(Cisco Webex) के माध्यम से हुई बैठक के कार्यवृत्त

बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चाधिकार समिति के निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लियाः

1. श्री बी.एस.भल्ला, प्रमुख सचिव, (गृह)/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार............. **सदस्य**
2. श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल), दिल्ली....................**सदस्य।**
3. श्री कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA)

एजेंडाः भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Petition (Civil) No. 1/2020– *In Re: Contagion of COVID-19 दिनांक 23.03.2020 और 13.04.2020* में जारी किए गए निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन

आइटम न. 1ःपहले अपनाए गए निर्णयों के आधार पर कैदियों की सुरक्षा, स्क्रीनिंग, पहचान, एवं कैदियों तथा जेल स्टॉफ के उपचार का जायजा

आरंभ में **श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल)** ने माननीय अध्यक्ष को समिति की पहले की बैठकों में लिए गए **निर्णयों और दिशा निर्देशों तथा हिदायतों** का पालन करने का जेल प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा किए गए सम्मिलित प्रयासों के विषय में विस्तृत रूप से अवगत करवाया। उन्होने आगे सूचित किया कि पहले अपनाए गए निर्णयों का गहनतापूर्वक पालन करने के परिणामस्वरूप वे कोविड–19 के मामलों की वृद्धि के ऊपर जांच रखने में सफल रहे हैं और वे जेल परिसर के अंदर **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के सक्रिय केसों की संख्या को भी कम करने में भी सफल रहें हैं।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि उनके पत्र संख्या **PS/ DG(P)/2020/275-280 दिनांक 15.02.2021** के द्वारा दिनांक 15.02..2021 तक दिल्ली जेल में **कोविड–19** के पाजिटिव केसों का संचयी आंकड़ा इस प्रकार हैः

जेल में बंद कैदियों के मामले : **120** (**117** ठीक हुए, **02** की मृत्यु, **01** सक्रिय,

जेल स्टॉफः **293** (**293** ठीक हुए, **0** सक्रिय मामले)

महानिदेशक (जेल) बैठक के दौरान समिति के संज्ञान में लाए कि एक बंदी गया प्रसाद पुत्र श्री राम समाई पाल जो कि दोषी पाया गया था उसने आपातकालीन पैरोल के पूर्ण होने के पश्चात मंडोली की अस्थाई जेल में दिनांक 14.02.2021 को आत्मसमर्पण किया। उन्होने अध्क्ष को अवगत

करवाया कि आत्मसमर्पण के समय "रेपिड एंटीजन टेस्ट" के द्वारा उसका **कोविड–19** टेस्ट करवाया गया जिसमें वो **पाजिटिव** पाया गया।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि उक्त कैदी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बुराड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसका स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। महानिदेशक (जेल) ने समिति को अवगत करपाया कि उपरोक्त बंदी जो कि **कोविड–19 पाजिटिव** पाया गया उसे जेल परिसर के अदंर से संक्रमण नही हुआ बल्कि वह तो आपातकालीन पैरोल के पूर्ण होने के पश्चात आत्मसमर्पण के समय **पाजिटिव** पाया गया था।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को आगे सूचित किया कि सभी नए प्रवेशकों को जिन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है उन सब को medically screened किया जा रहा है और ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार उनका **कोविड–19** टेस्ट किया जा रहा है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को आगे सूचित किया कि अंतरिम जमानत/आपातकालीन पैरोल की अवधि समाप्त होने पर आत्मसमर्पण के समय विचाराधीन कैदियों/दोषियों का रेपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा कोविड–19 का टेस्ट किया जा रहा है और यदि कोई पाजिटिव पाया जाता है तो उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली के **बुराड़ी कोविड केयर अस्पताल** में रेफर कर दिया जाता है।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि इस समिति की पिछली बैठकों में अपनाए गए निर्णयों के आधार पर अन्य नए प्रवेशकों को अस्थाई जेल मंडोली में बनाए गए अलगाव वार्ड में आरंभ में 14 दिनों की अवधि के लिए रखा जाता है जिससे कि उन्हें पहले से ही जेल के अंदर बंद कैदियों से **घुलने मिलने** से रोका जा सके।

यह निर्णय लिया जाता है कि **जेल स्टॉफ और नए प्रवेशकों, जिसमें अंतरिम जमानत/आपातकालीन पैरोल/फरलो की अवधि समाप्त होने के पश्चात आत्मसमर्पण करने वाले भी सम्मिलित हैं,** के लिए पिछली बैठकों में जिन एहतियाती उपायों की सिफारिश की गई थी उन्हें **जारी रखा जाएगा।** महानिदेशक (जेल) ने समिति के सदस्यों को आश्वासन दिया कि जेल परिसर के अंदर इस समिति के द्वारा पास किए गए सभी निर्णयों और पिछली बैठकों में विचार विमर्श के पश्चात बनाए गए प्रोटोकॉल का पालन जारी रखा जाएगा।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को आगे सूचित किया कि हालात में सुधार होने के कारण उन्होने सप्ताह में एक बार कैदियों के लिए ***पारिवारिक मुलाकात*** का आरंभ कर दिया है और ***लीगल मुलाकात*** जो कि पहले वर्चुअल हो रही थी वह अब प्रत्यक्षतः आमने सामने में बदल दी गई है।

उन्होने समिति को आगे आश्वासन दिया कि इन मुलाकातों के दौरान आवश्यक एहतियाती उपायों **सामाजिक दूरी और मास्क पहनना** आदि का पालन किया जा रहा है।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा इन निर्णयों का पालन करने के उठाए जा रहे कदमों से संतुष्ट है जिसने जेल परिसर के अंदर कोविड –19 के केसों को कम करने में मदद की है जैसा कि वास्तविक आंकड़ों से स्पष्ट है।

समिति ने महानिदेशक (जेल) को **एस.ओ.पी.** और **अन्य प्रोटोकॉल** के पालन को जारी रखने का निर्देश दिया जैसा कि जेल परिसर के अंदर कोविड–19 के प्रकोप को रोकने के लिए निर्णय लिए गए थे जैसे कि:

(क) सभी बाहरी एजिसियों जिनमें गैर सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं, के **दौरा करने पर रोक**।

(बी) **कैदियों के** वार्ड से बाहर **घूमने फिरने पर रोक।**

(सी) कैदियों को रखने वाले क्षेत्रों को और स्टॉफ के आवासीय परिसर को **नियमित रूप से साफ और कीटाणुरहित** रखना।

(डी) सभी **नए कैदियों** को जेल में बंद करने से पहले सीपीआरओ में **पूर्व जांच** की जाती है।

(ई) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट, मास्क, दस्ताने, अल्कोहल युक्त हैंड रब और साबुन की **खरीद और वितरण।**

(एफ) सभी जेलों में **संदिग्ध कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के ***"Contact Tracing"*** के लिए **स्पेशल टास्क फोर्स** का गठन।

(जी) नए भर्ती कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए **मनोवैज्ञानिक स्क्रीनिंग।**

(एच) रसोई/कैंटीन में कर्मियों द्वारा **रसोई की स्वच्छता** और सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उचित प्रकार से प्रयोग **पर बल।**

(आई) जेल स्टॉफ, जो कि फ्रंट लाइन वर्कर हैं, को **दिनांक 01.03.2021** तक **टीकाकरण अभियान का समापन।**

<u>आइटम न. 2ः जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री और मेडिकल स्टॉफ की स्क्रीनिंग के विषय में उठाए गए कदम</u>

जेल परिसर में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** का प्रवेश जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ और अन्य और उनके माध्यम से होने की संभावना पर विचार करते हुए कैदियों में उसके प्रसार को रोकने के लिए समिति के द्वारा अतिरिक्त उपायों पर विचार–विमर्श किया गया।

अध्यक्ष के द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन के संबंध में पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि जेल प्रशासन के सभी अधिकारी और कर्मचारी उन निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहें हैं और जेल स्टॉफ और अन्य के माध्यम से **कोविड–19 (कोरोना वायरस)** कैदियों तक पहुंचने के खतरे से निपटने के लिए उन्होने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि समिति के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर उन्होने ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार **उपरोक्त निर्दिष्ट जेल स्टॉफ** के लिए **रेपिड टेस्ट** का आयोजन किया और आवश्यकतानुसार जेल स्टॉफ का टेस्ट आरंभ कर दिया गया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि जेल स्टॉफके लिए **मास्क पहनना** अनिवार्य है और कैदियों से बातचीत करते समय **सामाजिक दूरी बनाए रखने** के लिए आगाह किया गया है।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से **संतुष्ट** है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया। तदानुसार यह **हल** किया जाता है।

<u>आइटम नंबर 3ः–दिनांक 30.08.2020 की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर विचाराधीन कैदियों</u>

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा, ने समिति को सूचित किया कि दिनांक **14.01. 2021** की बैठक में दिए गए निर्देशानुसार उन्होने **दिनांक 15.01.2021** को माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय को पत्र लिखा था।

उक्त पत्र के आधार पर माननीय विशेष पीठ ने ***Writ Petition (Civil) Number 3080/2020,*** titled ***"Court on its own Motion Vs. Govt. of NCT of Delhi & Anr."*****दिनांक 18.01.2021** के आदेश में जिन **3499 विचाराधीन कैदियों** की **अंतरिम जमानत** को आगे बढ़ा दिया गया था उनकी **अंतरिम जमानत** को उनकी पूर्व अंतरिम जमानत समाप्त होने

की तारीख से **30 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है**।

<u>आइटम नंबर 4:– जेल के अंदर और दिल्ली में वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए अंतरिम जमानत बढ़ाने पर विचार विमर्श</u>

दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के द्वारा दिनांक **23.03.2020** को पारित आदेश के साथ ही उच्चाधिकार **समिति की बैठक दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020, 18.04.2020 05.05. 2020 18.05.2020, 20.06.2020, 31.07.2020, 30.08.2020, 24.10.2020, 28.11.2020 और 14.01. 2021** को अपनाए गए मानदंडों के आधार पर रिहा किये गए बंदियों का ब्यौरा समिति के समक्ष रखा गया। पहले अपनाए गए मानदंडों के अनुसार रिहा किए गए कैदियों कें अतिरिक्त समिति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के केस शीर्षक **W.P. (Criminal) No.779/2020** के आधार पर **व्यक्तिगत बांड** पर रिहा किये गए विचाराधीन कैदियों का पुनः अवलोकन किया। जिसके आंकड़े महानिदेशक (जेल) के पत्रांक **PS/ DG (P)/2021/257-258** दिनांक **10.02.2021** में वर्णित हैं।

समिति ने रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों का अवलोकन किया जो इस प्रकार है –

दिनांक 09.02.2021 तक अंतरिम जमानत पर छोड़े गए कैदी	**3499**
माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा W.P.(Criminal) No.779/2020 में जमानत आदेशों में किए गए संशोधन के आधार पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदी	**310**
आपातकालीन पैरोल पर रिहा किए गए दोषी	**1184**
दिनांक 19.02.2021 तक सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए दोषी	**131**
भीड़ कम करने के प्रयास में माननीय उच्चाधिकार समिति के तत्वाधान में दिनांक 10.02.2021 तक अंतरिम जमानत/ पैरोल/ सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए कुल दोषी	**5124**

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के दिनांक 18.01.2021 के आदेशानुसार विचाराधीन कैदियों को प्रदत्त **बढ़ाई हुई अंतरिम जमानत** की अवधि दिनांक 20.02.2021 से समाप्त होने जा रही हैं।

समिति के सदस्यों ने जेल परिसर के अंदर कोविड–19 की स्थिति का जायजा लिया जैसा कि आइटम न. 1 में वर्णित है। समिति के सदस्यों ने दिल्ली एनसीआर में दिल्ली राज्य स्वास्थ्य

बुलेटिन के द्वारा कोविड–19 की पिछले 3 सप्ताह वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। सारणीबद्ध रूप में यह इस प्रकार है :

दिनांक	टेस्ट आयोजित किया गया	पाजिटिव केस	सकारात्मक दर
26.01.2021	64973	157	0.24%
27.01.2021	29855	96	0.31%
28.01.2021	57993	199	0.34%
29.01.2021	58725	249	0.42%
30.01.2021	68967	183	0.27%
31.01.2021	60695	140	0.23%
01.02.2021	43712	121	0.28%
02.02.2021	58598	114	0.19%
03.02.2021	56658	150	0.26%
04.02.2021	67234	158	0.24%
05.02.2021	59964	154	0.26%
06.02.2021	63322	123	0.19%
07.02.2021	54247	119	0.22%
08.02.2021	55390	125	0.23%
09.02.2021	56410	100	0.18%
11.02.2021	64328	142	0.22%
12.02.2021	63022	141	0.22%
13.02.2021	60876	126	0.21%
14.02.2021	56902	150	0.26%
15.01.2021	39065	141	0.36%
16.02.2021	56944	94	0.17%
17.02.2021	59886	134	0.22%

पिछले वर्ष की तुलना में दिल्ली एनसीआर में कोविड–19 के संबंध में बेहतर स्थिति को देखने के बाद समिति के सदस्यों ने स्वयं को उस लक्ष्य को याद करवाया जिसके कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***Suo Motu Petition(Civil) No. 1/2020 – In Re: Contagion of COVID-19*** के अंतर्गत उच्चाधिकार समिति का गठन हुआ था जैसे कि **कैदियों के किस श्रेणी/वर्ग को अंतरिम जमानत/पैरोल पर छोड़ा जा सकता** है। यह केवल अपराध की गंभीरता पर ही नही बल्कि **अपराध की प्रकृति** और अन्य कोई **संबंधित कारकों** पर निर्भर करता है।

इस समिति का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस महामारी के कारण उत्पन्न हुई अभूतपूर्व परिस्थितियों जिसके परिणामस्वरूप तालाबंदी और न्यायालय के काम काज प्रतिबंधित हो गए और जेलों में भीड़ कम की गई जिससे कि सामाजिक दूरी के सिद्धांत का पालन हो सके और जेलों के अंदर कोविड –19 के प्रसार को रोका जा सके। समिति के सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 13.04.2020 के बाद के आदेश को भी याद दिलाया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राज्यों को अनिवार्य रूप से कैदियों को रिहा करने के निर्देश नही दिए गए हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशों के आधार पर समिति के सदस्यों ने स्वयं को इस बात को याद दिलाया कि इसके गठन के उददेश्य को पूर्ण करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि अंतरिम जमानत का लाभ उन्ही परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए जिससे कि समाज में अराजकता न फैले।

समिति के सदस्यों की यह रॉय है कि यह व्यवस्था अस्थायी आधार पर की गई थी। इसका अर्थ जमानत प्रदान करने/अस्वीकृत करने के सिद्धांत के पूरक के रूप में नही माना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये उपाय तब तालाबंदी और मौजूदा परिस्थितियों के कारण लिए गए थे उस समय न्यायालयों का कामकाज प्रतिबंधित था। हालांकि अब परिस्थितियां बदल रही हैं अतः ये अस्थायी उपाय हमेशा के लिए बढ़ाए नही जा सकते।

भारत सरकार के द्वारा अनलॉक 5 के संबंध में पास आदेश सं. **40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 30.09.2020** जो कि दिनांक 15.10.2020 से प्रभावी था, को ध्यान में रखते हुए और उसके पश्चात परिस्थितियों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश सं **35/RG/DHC/2021 दिनांक 14.01.2021** भी सम्मिलित है, जिसमें सभी न्यायालयों उच्च न्यायालय और दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों में व्यक्तिगत रूप/विडियो कान्फ्रेसिंग मोड के द्वारा पुनः कार्य आरंभ करने के लिए कहा गया है। इन सब को ध्यान में रखते हुए इस समिति का निर्णय है कि विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत को **प्रदान करने** अथवा **बढ़ाने** के मानदंडों की सिफारिशों को और **अधिक लचीला नही बनाया जाएगा।**

समिति के सदस्यों ने अंतिम बैठक के कार्यवृत को देखा जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि यदि दिल्ली में कोविड–19 की स्थिति इसी प्रकार रहती है अथवा इसमें गिरावट देखी जाती है तो कोविड –19 के संबंध में इस समिति के द्वारा **अंतरिम जमानत को आगे नही बढ़ाया जाएगा।** इस प्रकार के सभी विचाराधीन कैदियों को उचित प्रकार से अधिसूचित किया गया था कि वे नियमित जमानत मांगने के लिए अपने निजी अधिवक्ता अथवा डीएसएलएसए के पैनल अधिवक्ता जैसा भी मामला हो, के माध्यम से संबंधित न्यायालय में संपर्क करें।

नतीजन समिति के सदस्यों का एकमत है कि वर्तमान में दिल्ली में कोविड–19 की स्थिति के आधार पर और इस बात पर भी विचार करते हुए कि वर्तमान में यदि हम जेल की जनसंख्या की तुलना करे तो जेल परिसर में **कोविड–19 के पाजिटिव** कैदियों की संख्या **नगण्य** है। अतः अंतरिम जमानत को **आगे बढ़ाने की सिफारिश** करने के लिए **कोई आधार नही** है।

तदानुसार यह हल किया जाता है।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव ने समिति के सदस्यो को इस बात से अवगत करवाया कि अभिलिखित विभिन्न मानदंडों के अंतर्गत विचाराधीन कैदियों को प्रदान की गई अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए इस समिति की पहले की बैठकों में सिफारिशों के आधार पर माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जिस **विशेष पीठ** का गठन किया गया था जिस में यह मामला ***"W.P.(C) 3080/2020*** शीर्षक ***"Court on its own Motion Vs. State"*** से लिया गया था। उन्होने आगे अवगत करवाया कि उक्त मामला अब **दिनांक 18.02.2021** के लिए अब सूचीबद्ध किया गया है।

समिति ने डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा को निर्देश दिया कि वे माननीय बेंच को समिति के द्वारा पास आज के निर्णय के विषय में सूचित करें और वे माननीय बेंच से निवेदन करें कि इस विषय में उचित आदेश पारित करें और याचिका का निपटारा करें।

हांलाकि यह **पहले भी स्पष्ट** किया गया था परंतु वही दोबारा **दोहराया** जा रहा है कि **अंतरिम जमानत** पर रिहा करने के लिए इस समिति के द्वारा दिनांक **28.03.2020, 07.04.2020, 18.04.2020, 05.05.2020, 18.05.2020, 20.06.2020, 31.07.2020, 30.08.2020, 24.10.2020, 28.11.2020** और **14.01.2021** की बैठकों में अपनाए गए मानदंड किसी भी प्रकार से विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को प्रभावित नही करेंगे जो नियमित/अंतरिम जमानत प्रदान करने के लिए संबंधित न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों की श्रेणियों में कवर नही होते हैं। इन विचाराधीन कैदियों के द्वारा संबंधित न्यायालय में आवेदन दायर करने पर कानून के अनुसार उन पर **मेरिट से विचार** किया जा सकता है। यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि इस समिति के द्वारा अंतरिम जमानत बढ़ाने की **सिफारिश न करने से** विचाराधीन कैदियों को नियमित जमानत प्रदान करने के लिए

संबंधित न्यायालय में संपर्क करने के अधिकार पर **कोई प्रभाव नही** पड़ेगा।

हालांकि यह स्पष्ट है लेकिन फिर भी यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस समिति द्वारा अलग–2 न्यायालयों द्वारा **अलग–2 तारीखों में 45 दिन की अवधि** के लिए विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत दी गई थी। अंतरिम जमानत की यह अवधि इस समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा ***"W.P.(C) 3080/2020*** शीर्षक ***"Court on its own Motion Vs. State"***, आरंभ में दिनांक **09.05.2020** के आदेश द्वारा, जिस तारीख को उनकी अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त हो रही थी, उस तारीख से 45 दिनों के लिए **बढ़ाई गई थी** और उसी को समय–2 पर दिनांक **22.06.2020, 04.08.2020**, **18.09.2020 02.12.2020** और अंत में 18.01.2021 को 30 **दिनों** के लिए **आगे बढ़ा दिया** गया। इन **3499 विचाराधीन** कैदियों को अलग–2 तारीखों पर **अंतरिम जमानत** दी गई थी। इस तरह उनकी अंतरिम जमानत चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी इसलिए उनके **आत्मसमर्पण** के लिए **अलग से तारीखों की आवश्यकता नही** है।

इस समिति द्वारा अंतरित जमानत को और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता नही है। ऐसे सभी विचाराधीन कैदी अपने निजी वकील या **डीएसएलएसए के पैनल अधिवक्ता के** माध्यम से नियमित जमानत मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा भी मामला हो, और ऐसे सभी न्यायालय जमानत याचिका पर मेरिट के अनुसार विचार करेंगे। इस समिति के द्वारा अभिलिखित मानदंड इसमें सम्मिलित नही हैं।

महानिदेशक (जेल) और जेल प्रशासन सुनिशचित करेगा कि सभी विचाराधीन कैदियों को क्रमशः उनकी अंतरिम जमानत समाप्त होने से पूर्व उन्हें तारीख के बारे मे सूचित करेगा और उन्हें उस तारीख तक आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता होगी।

आइटम नंबर 5:– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा दोषियों को प्रदान की गई आपातकालीन पैरोल को आगे बढ़ाने के संबंध में

समिति के सदस्यों ने अंतिम बैठक में अपनाए गए निर्णयों पर विचार किया जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि यदि **कोविड–19** की **स्थिति ऐसी ही रहती** है अथवा **घटते क्रम** में दर्शाती है तो **कोविड–19** के आधार पर दोषियों के लिए आपातकालीन पैरोल को आगू बढ़ाने की सिफारिश नही की जाएगी।

समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और जेल परिसर के अंदर कोविड–19 की स्थिति पर विचार किया और जैसा कि ऊपर एजेंडा आइटम न. 4 में निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से दोषियों की आपातकालीन पैरोल को बढ़ाने की सिफारिश नही की

जाएगी।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि आज तक **184 दोषियों** ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है जिनका उनके आत्मसमर्पण के समय रेपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा **कोविड–19** का टेस्ट कर लिया गया था।

<u>आइटम न. 6:– जेल में नए प्रवेशकों को, चाहे नए गिरफ्तार करने के पश्चात अथवा अंतरिम जमानत/पैरोल समाप्त होने के पश्चात आत्मसमर्पण करने के पश्चात, अलग रखने के लिए अलगाव वार्ड का जायजा</u>

समिति के सदस्यों ने, जेल में नए प्रवेशकों चाहे वे नए गिरफ्तार हुए हो या अंतरिम जमानत/पैरोल/फरलों के समाप्त होने पर आत्मसमर्पण के लिए आए हो, को अलग रखने पर विचार विमर्श किया जिससे कि वे जेल परिसर में आने के पश्चात पहले ही जेल में बंद कैदियों से घुल मिल न सकें।

समिति के सदस्यों ने महानिदेशक (जेल) को निर्देश दिया कि इन नए प्रवेशकों को उनके आत्मसमर्पण के पश्चात आरंभ में **14 दिनों** के लिए **अलगाव वार्ड** में रखा जाए। समिति के सदस्यों ने आगे यह निर्णय लिया कि सभी नए प्रवेशकों का उनके आत्मसमर्पण के समय रेपिड एंटीजन टेस्ट के खरा कोविड–19 टेस्ट किया जाएगा।

महानिदेशक (जेल) समिति के संज्ञान में लाए कि उन्होने नए प्रवेशकों का रेपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा कोविड–19 का टेस्ट करना पहले ही आरंभ कर दिया है और यदि कोई पाजिटिव पाया जाता है तो उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली के **बुराड़ी कोविड केयर अस्पताल** में रेफर कर दिया जाता है। वहीं अन्य लोगों को नियमित जेल में भेजने से पूर्व 14 दिनों की अवधि के लिए अलगाव वार्ड में रखा जाता है।

प्रधान सचिव (गृह) के साथ –2 महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की अधिसूचना सं. **9/70/2020/HG/2427-2441** दिनांक **31.07.2020** के द्वारा मंडोली जेल से सटे पुलिस आवासीय परिसर में पुलिस क्वार्टरों में **अलगाव वार्ड** का निर्माण किया गया है जिसे **अस्थायी जेल** कहा गया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि <u>पुलिस आवासीय परिसर,</u> मंडोली में **12 टावर** हैं जिसमें से प्रत्येक में **30 फ्लैट** हैं। उनके प्रयोग के संबंध में महानिदेशक (जेल) ने कहा आज तक 12 में से 6 टावर बी, सी, डी, आई एवं जे **अस्थायी जेलों के रूप पूर्णतः क्रियाशील** है। उन्होने यह भी कहा कि वर्तमान में यहां **308 विचाराधीन कैदियों** और **25 दोषियों** को इन टावरों में रखा है जिन्हें **अस्थायी जेल** में परिवर्तित कर दिया गया है। उन्होने आगे यह भी बताया कि

टावर जी,एच आई,जे,के एवं एल टावर कैदियों को रखने के लिए तैयार है और दो टावर ए और एफ को बाहरी सुरक्षा बलों को रखने के लिए सुरक्षित रखा गया है जिससे कि जेल स्टाफ को उनके साथ घुलने मिलने को कम किया जा सके।

इस तथ्य से अवगत करवाने पर कि वर्तमान में अस्थायी जेलों में **कैदियों** को रखा गया है और अन्य को आत्मसमर्पण के पश्चात रखा जाएगा अध्यक्ष ने उपरोक्त अस्थायी जेल में जेल प्राधिकारियों के द्वारा किए गए उनके **सुरक्षा उपायों** के बारे में पूछा और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कैदियों को इन अस्थायी जेल में रखते समय कोई अप्रिय घटना न हो।

अध्यक्ष की अस्थायी जेल में रहने वाले कैदियों के बचाव और सुरक्षा की चिंता को देखते हुए महानिदेशक (जेल) ने**"अस्थायी जेल"** में रहने वाले कैदियों के बचाव और सुरक्षा के लिए अपनाए गए एहतियाती उपायों के विषय में अध्यक्ष को अवगत करवाया।

उन्होने आश्वासन दिया कि कैदियों के बचाव और सुरक्षा के लिए एस.ओ.पी. और अन्य प्रोटोकॉल के अनुसार जेल में पालन की जाने वाली आवश्यक सावधानियां"**अस्थायी जेल"** में रखी गई हैं। उन्होने आगे सूचित किया कि अस्थायी जेल को सील करने के लिए जेल प्रशासन द्वारा पी.डब्ल्यू. डी. से आवश्यक सहयोग लिया गया है जिससे कि अस्थायी जेल के अंदर कैदियों कर अनावश्यक आवाजाही की जांच की जा सके विशेषकर उन फ्लैटस/अपार्टमेन्ट की बालकनी को सीमित कर दिया गया है जिन्हें अस्थायी जेल में बदला गया है। जैसे कि अस्थायी जेल से कैदियों के भागने की संभावना की भी जांच की गई है और आवश्यक सावधानी बरती जा रही है।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि एक बार ये सभी टावर पूर्णतः क्रियाशील हो जाए तो **अस्थायी जेल** के इन टावरों में लगभग **2000** कैदियों को रख सकतें हैं। महानिदेशक (जेल) से यह सूचना प्राप्त करने के पश्चात समिति का यह विचार है कि जेल में नए प्रवेशकों के लिए **अलगाव वार्ड** बनाने की समस्या काफी हद तक हल हो गई है।

अध्यक्ष ने सुझाव दिया किया कि **न्यायालय के** द्वारा पारित आदेश का पालन करते हुए विचाराधीन कैदियों/दोषियों के आत्मसमर्पण के अवसर पर उन्हें संबंधित जेल में भेजने से पूर्व अस्थायी जेल में आरंभिक 14 दिन की अवधि के लिए **अस्थायी जेल** में **रखा** जाएगा। महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि इस सुझाव का पालन किया जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि पहले लिए गए निर्णयानुसार नए पुरूष कैदी जिनकी आयु 18 से 21 वर्ष के बीच है और नई महिला कैदियों को तिहाड़ की जेल न. 5 और 6 में तथा मंडोली जेल न. 16 में क्रमशः अलग **अलगाववार्ड** में रखा जाएगा।

तदानुसार यह हल किया जाता है।

<u>आइटम न. 7:– वरिष्ठ नागरिक जो कि रूग्णावस्था में है उन दोषियों/विचाराणीन कैदियों की आपातकालीन पैरोल/ अंतरिम जमानत बढ़ाने पर विचार करने के लिए शेर सिंह की दिनांक 15.02.2021 की रिप्रजेंटेशन</u>

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव समिति के संज्ञान में दिनांक 15.02.2021 की रिप्रजेंटेशन जो कि शेर सिंह पुत्र स्व. श्री तेज सिंह, जो कि केन्द्रीय कारावास सं. 01 में दिनांक 28.08.2018 से पांच साल की सजा के लिए दोषी है, के द्वारा ई मेल दिनांक 15.02.2021 से प्राप्त हुई।

समिति के सदस्यों ने रिप्रजेंटेशन को ध्यानपूर्वक देखा जिसमें प्रार्थी ने कहा है कि वह एक वरिष्ठ नागरिक है और गंभीर बिमारियों जिसमें कैसर भी सम्मिलित है, से ग्रस्त है। उन्होने आपातकालीन पैरोल और बढ़ाने के साथ –2 उन वरिष्ठ नागरिकों की, जो कि रूग्णावस्था में है उन दोषियों/विचाराणीन कैदियों की आपातकालीन पैरोल/ अंतरिम जमानत बढ़ाने की प्रार्थना भी की है।

रिप्रजेंटेशन का प्रभावी रूप से निबटारा करने के लिए समिति के सदस्यों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***<u>Suo Motu Petition(Civil) No. 1/2020 – In Re: Contagion of COVID-19</u>*** में दिनांक **23.03.2020** के आदेश को ध्यानपूर्वक देखा जिसके अंतर्गत उच्चाधिकार समिति का गठन हुआ था। उसे निम्न प्रकार से पढ़ा गया:

> *"हम निर्देश देते हैं कि प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशएक उच्चाधिकार समिति का गठन करेगा जिसमें शामिल होंगे (1)राज्य विधिक सेवाएं समिति के अध्यक्ष (2) प्रधान सचिव (गृह/जेल), जो भी पदनाम के रूप में जाना जाता है (3) महानिदेशक (जेल), यह निर्धारित करने के लिए कि किस श्रेणी के कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर किस अवधि के लिए रिहा किया जा सकता है, जो कि उचित हो। जैसे कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश उन कैदियों को रिहा करने पर विचार करतें हैं जो कि अपराधी या अपराधों के लिए विचाराधीन है, जिनके लिए निर्धारित दंड 7 साल या उससे कम है, दंड के साथ या दंड के बिनाऔर कैदी अधिकतम के स्थान पर न्यूनतम वर्षों के लिए अपराधी ठहराया हुआ है।*
>
> *यह स्पष्ट किया जाता है कि यह हम उच्चाधिकार समिति पर छोड़ देते है कि वह वर्ग/श्रेणीके कैदियों पर विचार करे, कि किसे छोड़ा जाना*

*है जैसा कि ऊपर कहा गया है, **<u>अपराध की प्रकृति, सजा के वर्ष, जिसके लिए उसे सजा दी गई है अथवा अपराध की गंभीरता, जिसका उस पर आरोप लगा है और वह मुकदमे का सामना कर रहा/रही है अथवा अन्य कोई उचित कारण जिसे समिति उचित समझती है।</u>**"*

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.3.2020 के आदेश से यह स्पष्ट होता है कि यह **आंकने के लिए उच्चाधिकार समिति को पूर्ण अधिकार है कि कैदियों के किस श्रेणी/वर्ग को अंतरिम जमानत/पैरोल पर छोड़ा जा सकता** है। यह केवल अपराध की गंभीरता पर ही नही बल्कि **अपराध की प्रकृति** और अन्य कोई **संबंधित कारकों** पर निर्भर करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद के **दिनांक 13.04.2020** के निर्देश को ध्यानपूर्वक देखने पर यह पता चलता है कि उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को **अनिवार्य रूप से** कैदियों को उनकी **जेलों से रिहा** किए जाने का निर्देश नही दिया गया है।

इस प्रकार कोई भी कैदी चाहे वह किसी भी वर्ग/श्रेणी का क्यों न हो वह इसमें आता है और उसके अपराध की प्रकृति जो भी है जिसके लिए वह मुकदमें का सामना कर रहा है वह जेल से रिहा होने के लिए अधिकार के रूप में/ उसके वर्ग का सिफारिश में समावेश करने की मांग/दावा नही कर सकता।

इस समिति ने पहले की बैठकों में अपने निर्णय पर पहुंचने के साथ–2 उपरोक्त जमानत पर कैदियों की श्रेणियों को जारी रखने के लिए आज मापदंड तय करने के दौरान, दिल्ली की जेलों की धारण क्षमता, बैठकों की तारीखो तक मौजूद क्षमता और अपराध की प्रकृति जिसके लिए वह जेल में बंद हैं, को ध्यान में रखा था। समिति ने अपराध की प्रकृति के आधार पर कैदियों की श्रेणी/वर्ग, जिसके लिए वे जेल में हैं उन्हें अंतरिम जमानत/पैरोल देने, जैसा भी केस हो, के विषय में विचार विमर्श किया। समिति कुछ विशेष प्रकृति के मामले जैसे विशेष अधिनियम के अंतर्गत आने वाले केसों जैसे कि पोकसो, मकोका, पीसी एक्ट, एनडीपीएस, पीएमएलए, यूएपीए, आतंक से संबंधित मामले, धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार के मामलों के अतिरिक्त *CBI/ED/NIA*/दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, अपराध शाखा और एसएफआइओ द्वारा जांचे जा रहे मामलों को भी **अंतरिम जमानत** पर रिहा करने के समिति ने अपराध की प्रकृति के आधार पर कैदियों की श्रेणी/वर्ग, जिसके लिए वे जेल में हैं उन्हें अंतरिम जमानत/पैरोल देने, जैसा भी केस हो, के विषय में विचार विमर्श किया। समिति कुछ विशेष प्रकृति के मामले जैसे विशेष अधिनियम के अंतर्गत आने वाले केसों जैसे कि पोकसो, मकोका, पीसी एक्ट, एनडीपीएस, पीएमएलए, यूएपीए, आतंक से संबंधित मामले, धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार के मामलों के अतिरिक्त *CBI/ED/NIA*/दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, अपराध शाखा और एसएफआइओ द्वारा जांचे जा रहे मामलों को भी अंतरिम जमानत पर रिहा करने के **विचार क्षेत्र से बाहर** रखा गया। समिति ने पुनः विचार विमर्श के आधार पर विदेशी नागरिकों

को भी **विचार क्षेत्र से बाहर** रखा। समिति द्वारा उक्त निर्णय केवल **संबंधित कारको** पर विचार करने के पश्चात और **उद्देश्य संतुष्टि** पद पहुंचने के आधार पर लिया गया। मानदंड को अपराध के वर्ग/श्रेणी को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया था न कि वह एक **विशेष कैदी केंद्रित दृष्टिकोण** था।

इसके अतिरिक्त समिति ने अपनी पहली बैठकों में अपनाए गए विविध मानदंडों में महिलाओं पर एक अलग वर्गके रूप में विचार किया गया है और उसी के अनुसार पुरूष कैदियों की तुलना में उन्हें कुछ शर्तों में ढील दी गई है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने के उद्देश्य से कैदियों का एक उचित वर्गीकरण करना जिसके आधार पर कुछ कैदियों को रिहा किया जाए सभी कैदियों को नही। उपरोक्त आदेश का पालन **अक्षरतः न करके उसके पीछे छिपी भावना के अनुसार** करना है।

प्रस्तुत रिप्रेजंटेशन न्यूनाधिक प्रार्थी से संबंधित है। हांलाकि जैसा कि समिति ने पहले कहा कि यह किसी व्यक्तिगत केस में मेरिट या डी मेरिट देखने और उसे आपातकालीन पैरोल/अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए नही बनाई गई थी बल्कि यह किसी किसी विशेष कैदी के लिए नही अपितु किसी विशेष वर्ग पर विचार करते हुए उसके मानदंड अभिलिखित करने के लिए बनाई गई थी।

उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए समिति की यह रॉय है कि रिप्रेजंटेशन मेरिट पर नही है तदानुसार यह अस्वीकृत की जाती है। हालांकि आवेदक सबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रिप्रेंजटेशन में राहत मांगने के लिए यथोचित आवेदन दायर करने में स्वतंत्र है।

समिति ने कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, डीएसएलएसए (DSLSA) को निर्देश दिया कि वे उपरोक्त रिप्रजेंटेशन लगाने वाले प्रार्थी को इस संबंध में उसके परिणाम की समस्त जानकारी प्रदान करें।

बैठक के **कार्यवृत्त का पालन** सभी संबंधितों के द्वारा किया जाएगा।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

संदीप गोयल **महानिदेशक (जेल)**	**श्री बी.एस. भल्ला** **प्रधान सचिव (गृह)**	**कंवलजीत अरोड़ा** **सदस्य सचिव** **डीएसएलएसए**

माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांगी,
कार्यकारी अध्यक्ष,डीएसएलएसए

....

यह सत्यापित किया जाता हैं कि दिनांक 17.02.2021 की बैठक के कार्यवृत्त का हिन्दी अनुवाद मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

हिन्दी अनुवादक